विनियामक और अन्य उपाय

आरबीआइ / 2007-08/177 संदर्भ.सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/3 /12.03.000/2007-08 /01 नवंबर 2007

मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना

कृपया उपर्युक्त विषय पर 31 जुलाई 2007 का हमारा परिपत्र आरबीआइ/2007-08/110 शबैंवि (पीसीबी) सं/9/12.03.000/2007-08 देखें। वर्तमान चलनिधि परिस्थितियों की समीक्षा करने पर, यह निर्णय लिया गया है कि 10 नवंबर 2007 से प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 50 आधार बिंदुओं से बढ़ाकर उनकी मांग और मीयादी देयताओं के 7.50 प्रतिशत किया जाए।

2. इससे संबंधित 1 नवंबर 2007 की अधिसूचना सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/10/ 12.03.000/2007-08 की प्रतिलिपि संलग्न है।

संदर्भ.सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/10/12.03.000/2007-08 / 01 नवंबर 2007

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की संशोधित उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 31 जुलाई 2007 की अधिसूचना शबैंवि.पीसीबी.सं. 9/12.03.000/2007-08 केआंशिक आशोधन में, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक को चाहिए कि वह 10 नवंबर 2007 को प्रारंभ होनेवाले पखवाड़े से अपनी मांग और मीयादी देयताओं के 7.50 प्रतिशत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाए रखे।

आरबीआई / 2007-08/187संदर्भ सं. शबैंवि. (पीसीबी) बीपीडी.परि.सं.21/13.01.000/2007-08 नवंबर 15, 2007

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

लॉक-इन अवधि वाली जमा योजनाएँ

रिजर्व बैंक के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ बैंक अपने ग्राहकों को नियमित मीयादी जमाराशि के अलावा विशेष मीयादी जमाराशि उत्पाद प्रदान कर रहे हैं जिनकी मीयाद 300 दिन से पांच वर्ष तक की है और जिनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं

i) लॉक-इन अवधि जो 6 से 12 महीने की है ;

ii) लॉक-इन अवधि के दौरान मीयादपूर्व आहरण की अनुमति नहीं दी जाती है । यदि लॉक-इन अवधि के दौरान मीयादपूर्व आहरण की अनुमति दी जाती है तो उस पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है;

iii) इन जमाराशियों पर दिए जाने वाले ब्याज की दरें सामान्य जमाराशियों पर दिए जाने वाले ब्याज की दरों के अनुरूप नहीं हैं तथा

iv) बैंकों द्वारा कुछ शर्तों के अधीन आंशिक रूप से पूर्व भुगतान की अनुमति दी जाती है ।

2. कृपया इस संदर्भ में ''रुपया जमा राशियों पर ब्याज दरें-श.स.बैं.'' विषय पर 02 जुलाई 2007 के हमारे मास्टर परिपत्र शबैंवि.सं.बीपीडी.एमसी.सं.1/13.01.000/2007-08 का पैराग्राफ 17(i) देखें जिसके अनुसार बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एक ही तारीख को और एक ही परिपक्वता अवधि के लिए स्वीकार की गई जमाराशियों पर दिए जाने वाले ब्याज के मामले में जमाराशियों के बीच भेद न करें भले ही वे जमाराशियां बैंक के एक कार्यालय या भिन्न-भिन्न कार्यालयों पर स्वीकृत की गई हों सिवाय विशेष रूप से निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि जमाराशि योजनाओं के, जिन पर किसी भी मात्रा की सामान्य जमाराशियों की तुलना में ऊंची एवं नियत ब्याज दरें दी जाती हैं और 15 लाख रुपये तथा उससे अधिक की एक मीयादी जमाराशि जिस पर विभिन्न ब्याज दरें जमाराशियों की मात्रा के आधार पर दी जा सकती हैं।

3. नई घरेलू जमाराशि संग्रहण योजनाओं को अपने बोर्ड के अनुमोदन से प्रारंभ करने से पहले उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जमाराशियों पर ब्याज दरों, मीयादी जमाराशियों के मीयादपूर्व आहरण, मीयादी जमाराशियों पर ऋणों / अग्रिमों की मंजूरी आदि पर समय-समय पर जारी किए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। इस संबंध में किसी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसी स्थिति में संबंधित बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथालागू) के अंतर्गत दण्ड का पात्र होगा ।

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि कुछ बैंकों द्वारा जारी की गई लॉक-इन अवधि तथा उपर्युक्त पैराग्राफ I में उल्लिखित विशेषताओं वाली विशेष योजनाएं हमारे अनुदेशों के अनुरूप नहीं हैं । इसलिए जिन बैंकों ने ऐसी जमाराशि योजनाएं जारी की हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उन्हें तत्काल रोक दें और इस संबंध में अपने अनुपालन की सूचना रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

आरबीआई/2007-2008/194 शबैंवि. केंक्रा. पीसीबी. परि. सं..22/13.05.000/2007-08 दिनांक 26 नवंबर 2007

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

स्वर्ण ऋण भुगतान - शहरी सहकारी बैंक

कृपया आय निर्धारण, अस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण एवं अन्य संबंधित मामलों पर 04 जुलाई 2007 के मास्टर परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.एमसी.सं.10/09.14.000/2006-07 के पैराग्राफ 2.2.8 तथा 2.1.3 देखें ।

2. हमें इस आशय के अभ्यावेदन बैंकों तथा उनके संघों से प्राप्त हुए हैं कि स्वर्ण ऋणों की एकमुश्त चुकौती की अनुमति विशेष रूप से छोटे ऋणकर्ताओं को दी

जाए। इस मामले की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया है कि एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में 1.00 लाख रुपए तक के स्वर्ण ऋणों की एकमुश्त चुकौती की अनुमति दी जाए। इसलिए, शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी जाती है कि वे निम्नलिखित दिशनिर्देशों के अधीन एकमुश्त चुकौती के विकल्प के साथ स्वर्ण की मंजूरी के लिए अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से नीति निर्धारित करें।

i. मंजूर किए गए स्वर्ण ऋण की राशि कभी भी 1.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चहिए।

ii. मंजूरी की तारीख से ऋण की अवधि 12 माह से अधिक न हो।

iii. इस खाते पर मासिक अंतराल पर ब्याज लगाया जाएगा लेकिन वह मूलधन के साथ भुगतान के लिए देय केवल मंजूरी की तारीख से 12 माह के अंत में ही होगा।

iv. बैंकों को ऐसे ऋणों के मामले में एक न्यूनतम मार्जिन बनाए रखना चाहिए और तदनुसार प्रतिभूति (स्वर्ण/ स्वर्णाभूषण) के बाजार मूल्य, मूल्य में संभावित उतार-चढ़ाव तथा ऋण की अवधि के दौरान लगने वाले ब्याज आदि को ध्यान में रखते हुए ऋण सीमा निर्धारित करनी चहिए।

v. ऐसे ऋण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी मौजूदा मानदंडों से नियंत्रित होंगे जो मूलधन एवं ब्याज के एक बार अतिदेय हो जाने की स्थिति में उन पर लागू होंगे।

vi. यदि निर्धारित मार्जिन नहीं रखा जा रहा हो तो इस खाते को चुकौती की तारीख से पहले भी अनर्जक आस्ति (अवमानक श्रेणी) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वर्ण / स्वर्णाभूषण की संपार्श्विक प्रतिभूति पर मंजूर फसल ऋणों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी मौजूदा मानदंड लागू रहेंगे।

आरबीआई /2007-08/198 संदर्भ. शबैंवि. पीसीबी. परि. सं. 26 /09.09.001/2007-08 दिनांक 30 नवंबर 2007

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार - लक्ष्य में संशोधन - शहरी सहकारी बैंक

कृपया 30 अगस्त 2007 का हमारा परिपत्र शबैंवि.पीसीबी. परि.सं.11/09.09.01/2007-08 देखें जिसके माध्यम से प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित संशोधित दिशानिर्देश (http://www.rbi.org.in पर उपलब्ध) जारी किए गए थे।

2. जैसा कि आप जानते होंगे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1983 में तत्कालीन उप गवर्नर डॉ. एम.वी. हाटे की अध्यक्षता में शहरी सहकारी बैंकों के लिए गठित स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए निर्धारित लक्ष्य शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू किया गया था । स्थायी सलाहकार समिति ने अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की थी कि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अपने कुल अग्रिमों का 60% प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को प्रदान किया जाना चाहिए । शहरी सहकारी बैंकों पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति, 1999 (माधवराव समिति) द्वारा इस सिफारिश को पुन: अनुमोदित किया गया । समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ यह सुझाव दिया था कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य को कम करके 40%, जो वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है, गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए कम सी आर ए आर तथा शहरी सहकारी बैंकों को आयकर से छूट के कारण करने की आवश्यकता नहीं है।

3. वर्ष 1983 में शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का लक्ष्य शुरू करने के समय से अब तक

शहरी सहकारी बैंकों के विनियामक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और यह विशेष रूप से सी आर ए आर तथा आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण (आईआरएसी) संबंधी मानदंडों के मामले में कमोबेश वाणिज्यिक बैंकों के समतुल्य हो गया है। शहरी सहकारी बैंकों द्वारा अब तक आयकर से ली जाती रही छूट को भी वापस ले लिया गया है। इसके अतिरिक्त, शहरी सहकारी बैंकों की निवल मांग एवं मीयादी देयताओं पर सीआरआर तथा एसएलआर के द्वारा निधियों के निम्न सांविधिक पूर्वक्रय के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में उनके लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिमों का ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने का तर्क हाल के वर्षो में वाणिज्यिक बैंकों के लिए सीआरआर तथा एसएलआर संबंधी अपेक्षाओं में क्रमिक रूप से की गई कमी को ध्यान में रखते हुए कदापि औचित्यपूर्ण नहीं है।

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा शहरी सहकारी बैंकों तथा उनके महासंघों के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के लक्ष्य को कमकर समायोजित बैंक ऋण (एबीसी) (कुल ऋण तथा अग्रिम और शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात बांडों में किया गया निवेश) के 40% तक अथवा तुलनपत्रेतर ऋण जोखिम (ओबीई) की राशि के बराबर ऋण, पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार, इनमें से जो अधिक हो, तक लाया जाए ।
5. संशोधित लक्ष्य 01 अप्रैल 2008 से लागू होगा।
6. हमारे 30 अगस्त 2007 के परिपत्र शबैंवि.पीसीबी.परि.सं.11/09.09.01/2007-08 के साथ अग्रेषित संशोधित दिशानिर्देशों में निहित अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।